आवश्यक सूचना

वाहन सं0–डब्लू.बी.–37ए.–6829 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–पी.एस.टी.एस. –092/1952(जे.एच.) के परमिटधारी श्रीमती इन्दु कुमारी सिंह कृपया ध्यान दें ।

खेसर से जसीडीह मार्ग पर आपके वाहन सं0– डब्लू.बी.–37ए.–6829 के पक्ष मे निर्गत स्थायी परमिट सं0–पी.एस.टी.एस.–092/1952(जे.एच.) के दिनांक 01.02.2015 से दिनांक 31.01.2020 तक नवीकरण के प्रस्ताव पर दिनांक 12.12.2014 के राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में एस.टी.ए., झारखंड द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति उपलब्ध कराने की शर्त्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

परन्तु आपके द्वारा समर्पित नवीकरण पृष्ठांकन संबधी आवेदन के साथ शर्त्त के अनुरूप परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची सहित परमिट एवं समय सारणी की मूलप्रति तथा अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विभागीय पत्रांक–2978, दिनांक–23.06.2015 द्वारा उक्त कागजातों की मांग की गयी थी एव उक्त पत्र को आपके द्वारा आवेदन में उल्लिखित पते पर भेजा गया था । परन्तु डाक विभाग द्वारा पता को अधूरा बताकर पत्र को वापस लौटा दिया गया है । उक्त विभागीय पत्र की प्रति भी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है ।

अतएव पत्र में उल्लिखित कागजात सहित अपना पूर्ण पत्राचार का पता एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ताकि आपके उक्त परमिट पर नवीकरण का पृष्ठांकन किया जा सके । अन्यथा आपके उक्त परमिट का नवीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक–4/STA.–P3–76/2005 2778

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्रीमती इन्दु कुमारी सिंह,
पति–श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह,
मोहल्ला–मन्दरोजा,
थाना–कोतवालीथाना, भागलपुर
जिला–भागलपुर (बिहार)।

पटना,दिनांक 23/06/2015

विषयः खेसर से जसीडीह मार्ग पर आपके वाहन सं0–डब्लू.बी.–37ए.–6829 के पक्ष में निर्गत परमिट सं0–092/1952 (जे.एच.) के नवीकरण के पृष्ठांकन हेतु वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि खेसर से जसीडीह मार्ग पर आपके वाहन सं0–डब्लू.बी.–37ए.–6829 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–पी0एस0टी0एस0–092/1952 (जे.एच.) के नवीकरण की स्वीकृति राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है । परन्तु उक्त परमिट पर नवीकरण के पृष्ठांकन हेतु आपसे प्राप्त आवेदन के साथ निम्न कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है :–

1. एस.टी.ए., बिहार के निर्णय के अनुरूप एस.टी.ए., झारखंड द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची ।
2. उक्त परमिट एवं समय सारणी की मूलप्रति ।
3. बिहार एवं झारखंड राज्य के अद्यतन कर प्रतीक की प्रति ।
4. अद्यतन फिटनेश, बीमा एवं लेबर प्रमाण पत्र की प्रति ।
5. विहित प्रपत्र में शपथ पत्र ।

अतः यथाशीघ्र उक्त वांछित कागजात अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि राज्य परिवहन प्राधिकार के निर्णय के अनुरूप आपके उक्त परमिट पर नवीकरण का पृष्ठांकन किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

अवर सचिव, 15/6/

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.J.V-370